न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 41 / 2026 (GCMS 2026/102)

(RTI No. 212766265920484)

श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोहन लाल निवासी वार्ड न. 09 वीपीओ. हाकमाबाद, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर : 90575-54782)

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं **तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री महेन्द्र कुमार उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर को ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 06.03.2026 से प्रस्तुत करके छः बिन्दुओं सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सहायक लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह ऑनलाईन अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी महेन्द्र कुमार ने अपने प्रार्थना पत्र से तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. लघु किसान एवं सीमांत किसान की श्रेणी में अधिकतम कितनी भूमि (हेक्टेयर में) तक क स्वामित्व निर्धारित है?
2. क्या उक्त भूमि सीमा सिंचित एवं असिंचित भूमि के आधार पर अलग–अलग निर्धारित की जाती है? यदि हां तो, कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें।
3. प्रमाण पत्र हेतु किस श्रेणी का किसान पात्र है– SC/ST/OBC
4. किसान की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए।
5. प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज जिन्हें कृषक द्वारा आवेदन के साथ लगाना पड़ता है।
6. कृषक द्वारा आवेदन करने के पश्चात कार्यलय द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने की समयावधि

तहसीलदार(राजस्व), सादुलशहर ने अपने पत्र क्रमांक विविध / 2026 / 11 दिनांक 07.05.2026 से अपील का जवाब प्रेषित कर, अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपने पत्र क्रमांक विविध / 03 दिनांक 04.05.2026 अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है, जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वाही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप से नहीं होनी वाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्शी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या साम्रगी के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सादलशहर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है, जो** निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी**

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर ने अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएं उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर